सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य "श्री केदारनाथ धाम में मन्दाकिनी नदी के बायें किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का पुनर्निर्माण निर्माण" के विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) के अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर, 2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति –

1. श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आनन्द बर्द्धन प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
5. डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एच0के0 उप्रेती, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री ए0के0 दिनकर, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. टी0ए0सी0, वित्त विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण।

दिनांक 15.11.2017 को बैठक में सर्वप्रथम राज्य योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण तथा अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

- मूलतः आगणन सिंचाई विभाग द्वारा रू0 8316.58 लाख का प्रस्तुत किया गया था, जिसे टी0ए0सी0, वित्त के परीक्षणोपरान्त रू0 7966.46 लाख पाया गया।
- प्रस्तावित कार्य का आंगणन श्री केदारनाथ धाम में आपदा के उपरान्त पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के इतर विशेष स्वीकृत दरों के अनुसार गठित की गयी है। उक्त स्वीकृत दरों के संबंध में दिनांक 09.10.2017 को आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के दृष्टिगत प्रस्तुत आगणन में प्रयुक्त दरों को अपनाये जाने हेतु प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली 2017 से शिथिलता प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- योजना में प्राविधानित communication हेतु प्रस्तावित रू0 71.10 लाख के संबंध में details स्पष्ट नही है।

व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य के DPR पर समग्र रूप से विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया–

1. व्यय वित्त समिति द्वारा सिचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि अधिप्राप्ति नियमावली 2017 से समस्त आवश्यक बिन्दुओं पर शिथिलता प्राप्त करने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर्यटन विभाग को उपलब्ध करा दें। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग को भी निर्देशित किया गया कि यदि अधिप्राप्ति नियमावली के किसी बिन्दु पर शिथिलता की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर लिया जाय।
2. आगणन में लिये गये दरों के संबंध में स्पष्टता न होने तथा दरें अत्यधिक होने के कारण कार्य की लागत अत्यधिक होने के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया

कि विभाग DDMA रूद्रप्रयाग के साथ विचार–विमर्श कर आगणन का पुनः परीक्षण कर दिनांक 16.11.2017 का व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

सिचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य के आगणन का पुनरीक्षण कर रू0 60.61 करोड़ का आगणन दिनांक 16.11.2017 को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न शर्तों के अधीन कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी–

1. कार्य में स्थानीय उपलब्ध पत्थर व बोल्डर का उपयोग किया जाय।
2. संरचना को प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु संरचना के ऊपरी भाग को पक्का कर मिट्टी भरान के उपरान्त Vegetation का प्राविधान किया जाय।
3. अधिप्राप्ति नियमावली से संबंधित बिन्दुओं पर शिथिलता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
4. योजना निर्माण करने में सीमेंट एवं वायरक्रेट का ही प्रयोग किया जाना है, यही सामग्री क्रय की जानी है।
5. डी0पीआर0 में गौरीकुण्ड से सीमेंट का ढुलान पैदल मार्ग से दर्शाया गया है। अतः इस संबंध में यह सुझाव दिया गया कि यदि हवाई मार्ग से (एम0आई0 हैलीकॉप्टर) से एकमुश्त ढुलान किया जाय तो मितव्ययता से कार्य होगां तथा इससे समय की बचत होगी। इस संबंध में भी परीक्षण कर लिया जाय।
6. अवगत कराया गया कि आगणन में शारीरिक श्रम द्वारा पत्थरों को तोड़ना दर्शाया गया है। इस संबंध में समिति के सदस्यों का मत था कि अत्यधिक ठंड के दृष्टिगत इस कार्य में Machanical Means का प्रयोग किया जाय। इससे शारीरिक श्रम/समय की बचत होगी एवं लागत में भी कमी आयेगी। इस पर तुलनात्मक रूप से विचार कर लिया जाय।
7. नींव खुदान का कार्य मशीनों के द्वारा किया जाय जिससे समय एवं लागत की बचत होगी।
8. योजना के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि एकमुश्त धनराशि के रूप में 3 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी।

व्यय वित्त समिति द्वारा सिचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि विस्तृत आगणन को टी0ए0सी0, वित्त से पुनः परीक्षण करा कर स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति।

उत्तराखण्ड शासन

राज्य योजना आयोग

(नियोजन विभाग)

संख्याः 1597/93 –व्य0वि0स0/रा0यो0आ0/2016–17

देहरादूनः दिनांकः 21 नवम्बर, 2017

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून (सदस्य)।
6. टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव,
नियोजन विभाग।